

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1719]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुन 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941

No. 1719]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मादेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2019

का.आ. 1924(अ).—पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा 3 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पुडूचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण, पुडूचेरी कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:--

- डॉ. जी. श्रीनिवासन
 आचार्य और अध्यक्ष, रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग, पुडूचेरी
 इंजीनियरिंग कालेज, पुडूचेरी 605014
- अध्यक्ष;

2. डॉ. टी. गणेसन

सदस्य;

- सह आचार्य और अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, के.एम. सेंटर फार पी.जी. स्टडीज़, पुडूचेरी – 605008
- 3. निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

सदस्य-सचिव।

विभाग, पुडूचेरी

2. प्राधिकरण, पुडूचेरी के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

- 3. प्राधिकरण, पुडूचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. प्राधिकरण, पुडूचेरी इस आदेश के पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति पुडूचेरी की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा।
- 5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, पुडूचेरी की सहायता करने के लिए पुडूचेरी सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
 - डॉ. बी. कुमारन अध्यक्ष;
 सह आचार्य और प्राचार्य, इंदिरा गांधी कालेज आफ आर्ट्स एंड साइंस,
 कादिरकामन, पुडूचेरी 605009
 - 2. डॉ. एस. गोविन्दारादजाने सदस्य; आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग, पुडूचेरी इंजीनियरिंग कालेज, पुडूचेरी
 - डॉ. एस. रामकुमार सदस्य संकाय अध्यक्ष, राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ वेटरीनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडूचेरी – 605008
 - 4. डॉ. ए. योगामूर्ति, सदस्य; आचार्य (सेवानिवृत्त) 6, दूसरा क्रास अरविन्द्रनगर, रेड्डीयारपलायम, पुडूचेरी – 605010
 - सुश्री एस. उषा सदस्य;
 सहायक आचार्य, रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग, पुडूचेरी इंजीनियरिंग
 कालेज, पिल्लैचावदी, पुडूचेरी
 - 6. डॉ. के.एम. गोपीनाथन सदस्य; सह आचार्य, प्राणी विज्ञान विभाग, एम.जी. गर्वमेंट आर्ट्स कालेज, माहे-673311
- 7. डॉ. के. सम्बानदन सदस्य; सहायक आचार्य,
 पौधा विज्ञान विभाग, अरीगनार अन्ना गर्वमेंट आर्ट्स एंड साइंस कालेज, करियाकल-609605
- 8. डॉ. कवितावासुदेवन पी. सदस्य; सह आचार्य, समुदाय चिकित्सा विभाग, इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, वाजहाबुर रोड, केठिकामम, पांडिचेरी – 605009
- 9. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पुडूचेरी सचिव। सरकार।

- 6. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन सिमिति, पुडूचेरी के अध्यक्ष और सदस्य इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेंगे।
- 7. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, पुडूचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।
- 8. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, पुडूचेरी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।
- 9. पुडूचेरी राज्य सरकार, प्राधिकरण पुडूचेरी और राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन सिमिति, पुडूचेरी के लिए सिचवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-स्विधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।
- 10. प्राधिकरण, पुडूचेरी के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, पुडूचेरी के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता पुडूचेरी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा.स. जे-11013/51/2007-आई.ए.II(I)] अरविन्द नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE ORDER

New Delhi, the 7th June, 2019

S.O. 1924(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Puducherry (hereinafter referred to as the Authority, Puducherry) comprising of the following Members, namely:

- (1) Dr. G. Srinivasan
 Professor and Head, Department of Chemical
 Engineering, Pondicherry Engineering College,
 Pondicherry 605014.
- (2) Dr. T. Ganesan
 Associate Professor and Head, Department of Botany, K.
 M. Centre for P.G. Studies, Puducherry 605008,
- Member;

Chairman:

- (3) Director, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry.
 - Member-Secretary.

Chairman:

- 2. The Chairman and Members of the Authority, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.
- 3. The Authority, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
- 4. The Authority, Puducherry shallbase its decision on he recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry constituted under paragraph 5 of this order.
- 5. For the purposes of assisting the Authority, Puducherry, the Central Government, in consultation with the Government of Puducherry, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherrycomprising of the following Members, namely:-
 - Dr. B. Kumaran
 Associate Professor and Principal, Indira Gandhi College of Arts and Science, Kadirkaman, Puducherry – 605009.

(2)	Dr. S. Govindaradjane Professor, Civil Engineering, Pondicherry Engineering College, Puducherry.	-	Member;
(3)	Dr. S. Ramkumar Dean, Rajiv Gandhi Institute of Veterinary Education and Research, Puducherry – 605009.	-	Member;
(4)	Dr. A. Yogamoorthi, Professor (Retd.), 6, Second Cross Aravindarnagar, Reddiyarpalayam, Pondicherry – 605010.	-	Member;
(5)	Mrs. S. Usha Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Pondicherry Engineering College, Pillaichavady, Puducherry.	-	Member;
(6)	Dr. K. M. Gopinathan Associate Professor, Department of Zoology, M. G. Govt. Arts College, Mahe – 673311.	-	Member;
(7)	Dr. K. Sambandan Assistant Professor, Department of plant Science, Arignar Anna Government Arts and Science College, Karaikal – 609605.	-	Member;
(8)	Dr. KavitaVasudevan P. Associate Professor, Department of Community Medicine, Indira Gandhi Medical College and Research Institute, Vazhavur Road, Kathirkamam, Pondicherry – 605009.	-	Member;
(9)	Senior Scientific Officer, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry.	*	Secretary.

- 6. The Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.
- 7. The State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
- 8. The State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.
- 9. The Government of Puducherry shall notify an agency to act as the Secretariat for the Authority, Puducherry and the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.
- 10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Puducherry and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry shall be paid in accordance with the relevant rules of the Government of Puducherry.

[F. No. J-11013/51/2007-IA-II(I)] ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

VERMA

Date: 2019.06.08 15:46:53 ÷05'30'